

पत्र संख्या-एन/गृ०वि०मु०ज०शि०-11-04/2012-191/

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग।

निर्दिष्ट/
फैक्स
ईमेल

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक-20/04/2016

विषय:-

बिहार राज्य अन्तर्गत केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि भुगतान के लिए दिशा-निर्देश।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत है, उनके अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु 51000/- (एक्यावन हजार) रुपये मात्र की राशि अनुदान के रूप में भुगतान करने का निर्णय विभागीय संकल्प सं०-396 दिनांक-03.09.2015 द्वारा लिया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

विदित हो कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-05.09.2006 एवं पत्रांक-248 दिनांक-11.07.2007 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जा चुका है (छायाप्रति संलग्न)।

उपर्युक्त संकल्प में लिए गए निर्णय के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि के भुगतान के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को विम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया जाता है:-

1. स्वतंत्रता सेनानी तथा उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी आश्रिता पत्नी संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अपने अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए एक सादा कागज में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रिता पत्नी दोनों के दिवंगत होने की स्थिति में स्वतंत्रता सेनानी के वैध उत्तराधिकारी यथा-स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी के माता/पिता, जिन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा परिचय पत्र निर्गत है, विवाह अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
3. उक्त आवेदन के साथ स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी के द्वारा स्व-घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) भी संलग्न किया जायेगा, जिसमें पी०पी०ओ० संख्या, शादी कब है, किसकी है, स्वतंत्रता सेनानी से उनका क्या संबंध है एवं शादी हेतु वैध उम्र (Legal Age) प्राप्त होने का उल्लेख हो। स्व-घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) के साथ स्वतंत्रता सेनानी के पौत्री/नतिनी की आयु के प्रमाण के लिए उसकी जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रीक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, शादी के पूर्व आवेदन देने की स्थिति में शादी सम्पन्न होने के पश्चात् 30 दिनों के अंदर विवाह

पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) तथा इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के बाद की अवधि में यदि शादी होने का दावा करते हुए विवाह अनुदान राशि के भुगतान हेतु आवेदन दिया जाता है तो आवेदन के साथ ही विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में स्व-घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) का विहित प्रपत्र (Form) संलग्न है।

4. स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु विवाह अनुदान की राशि उनकी शादी के पूर्व अथवा शादी के बाद देय होगी।
5. संकल्प सं०-396 दिनांक-03.09.2015 निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। इस संकल्प निर्गत तिथि के पूर्व के शादी के लिए अनुदान राशि का दावा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. जिला पदाधिकारी स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. इसके लिए सभी जिलों को "मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, समूह शीर्ष-गैर योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0016-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान" विपत्र कोड-एन०-2235602000016 में राशि का अग्रिम आवंटन उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् ही शादी हेतु उक्त अनुदान की राशि का भुगतान आवेदन देने वाले स्वतंत्रता सेनानी/ उनकी पत्नी तथा इन दोनों के दिवंगत होने की स्थिति में उनके अविवाहित पौत्री/नतिनी के माता/पिता के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से करेंगे। विवाह अनुदान राशि के भुगतान के पश्चात् इसकी सूची विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगी।

अतः दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु विवाह अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान में कोई कठिनाई न हो।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,



(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव।

18.4.16

स्व-घोषणा प्रपत्र

(स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी के लिए)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि सुश्री मेरी पौत्री/नतिनी/पुत्री है, जिसका जन्म तिथि है तथा उसकी शादी दिनांक- को निर्धारित है। उक्त जन्म तिथि के आधार पर शादी के लिए उसकी वैध उम्र (Legal Age) हो चुकी है। उम्र के प्रमाण के लिए मैं अपने पौत्री/नतिनी/पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करता/करती हूँ।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं०- दिनांक- के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी श्री को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृति दी गई है, पी०पी०ओ० सं०- है तथा पेंशन का भुगतान कोषांगार/बैंक से हो रहा है/था। उक्त के संबंध में पेंशन स्वीकृति आदेश पत्र, पी०पी०ओ० एवं उत्तराधिकारी परिचय पत्र/वंशावली प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करता/करती हूँ।

3. विवाह संपन्न होने के बाद (30 दिनों के अन्दर) विवाह पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) निश्चित रूप से समर्पित करूँगा/करूँगी।

अथवा, संकल्प संख्या-396, दिनांक-03.09.2015 के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् मेरी पौत्री/नतिनी/पुत्री की शादी दिनांक- को हो चुकी है। विवाह पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) संलग्न है (जो लागू न हो, काट दें)।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में उपर्युक्त सभी तथ्य/बातें सही हैं।

स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता